हल्द्वानी स्थित कालाढूँगी चौराहे में कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के शॉपिंग काम्पलैक्स के प्रथम तल में अतिरिक्त स्थान को मासिक किराये पर दिये जाने हेतु निविदा शर्तेः–

1. निविदा प्रपत्र रू0 1000+180(जी0एस0टी0) कुल रू0 1180/– भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते है।। रसीद तकनीकी निविदा के साथ संलग्न की जानी अनिवार्य है।
2. आवेदक संस्था/विभाग/व्यक्ति विशेष को अपने फाइनैंशियल स्टेट्स की सी0ए0 से प्रमाणित प्रति का आवेदन पत्र के साथ विगत तीन वर्षो का विवरण संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. पंजीकृत शुल्क रू0 50,000.00 ड्राफ्ट के रूप में कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के नाम हो, जमा करना अनिवार्य है।
4. व्यक्तिगत आवेदनकर्ता को स्थाई निवास/चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र, जो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हो, स्वप्रमाणित संलग्न करना होगा।
5. फर्म के नाम पंजीकरण कराने पर फर्म पंजीकृत होनी चाहिए।
6. व्यवसायिक तल में न्यूनतम मासिक किराया रू0 352/– प्रति वर्गमीटर +जी0एस0टी0 देय होगा, अधिकतम निविदा दर प्रेषित किये जाने वाले निविदाकार की निविदा सशर्त स्वीकार की जायेगी।
7. सम्बन्धित आवंटी संस्था/विभाग/व्यक्ति विशेष द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार भवन के मूल संरचनात्मक ढॉचे को बिना कोई छेड़–छाड़ (तोड़–फोड़) किये आवंटित स्थान को विकसित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सम्बन्धित को कार्य करने से पूर्व निगम को अवगत कराना अनिवार्य होगा तथा इस पर होने वाले व्यय को आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। इस सम्बन्ध में पुनः यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि मुख्य भवन में ऐसे किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी। जिसका प्रतिकूल प्रभाव भवन की निर्माण की आधार शक्ति पर पड़ता हो।
8. सम्बन्धित आवंटी संस्था/विभाग/व्यक्ति विशेष द्वारा विद्युत, वातानुकूलन, सौन्दर्यीकरण, जल संयोजन व जल–मल निस्तारण एवं साफ–सफाई, रख–रखाव की व्यवस्था/व्ययभार स्वयं सुनिश्चित करना होगा।
9. भवन सम्बन्धी कर, जो स्थानीय नगरपालिका/निगम, जल संस्थान या अन्य किसी विभाग द्वारा अधिरोपित किये जायेंगे, उनका व्ययभार आवंटी संस्था/विभाग/व्यक्ति विशेष को स्वयं वहन करना होगा।
10. आवंटित हॉलों/व्यवसायिक तल के लिए निम्न व्यवसाय प्रतिबन्धित हैः–
    1) हार्डवेयर/मशीनरी
    2) बर्तन कारखाना
    3) सीमेंट/बिल्डिंग मैटेरियल
    4) सब्जी/फल/मीट आदि
    5) वर्कशॉप
    6) भूसा आदि
    7) गैस रिफिल आदि
    8) वाहन शो–रूम
    9) उपरोक्त से मिलते जुलते अन्य कार्य
11. सम्बन्धित आवंटी संस्था/विभाग/व्यक्ति विशेष को नियमानुसार जी0एस0टी0 का भुगतान भी स्वयं सम्बन्धित विभाग को नियमानुसार करना होगा।
12. प्राकृतिक आपदाओं से भवन सम्बन्धित क्षति के सापेक्ष बीमा इत्यादि का व्यय निगम द्वारा वहन किया जायेगा, परन्तु दुकान/दुकानों के भीतर रखी गई सामग्री का बीमा द्वितीय पक्ष द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
13. यदि जब कभी भी परिसर में आवंटित हॉल/व्यवसायिक तल को आवंटी खाली करना चाहता है तो इसके लिए उसे निगम को तीन माह पूर्व सूचित करना होगा।
14. मासिक किराये के अनुबन्ध की अवधि अनुबन्ध की तिथि से आगामी 05 वर्ष के लिए प्रभावी होगी। जिसका अगले 05 वर्ष हेतु नवीनीकरण किया जाता रहेगा, किन्तु नवीनीकरण में किराया 20 प्रतिशत बढ़ाया जायेगा। अनुबन्ध का व्ययभार स्वयं आवंटी द्वारा वहन किया जायेगा।
15. दूरभाष सम्बन्धी व्यय स्वयं आवंटी द्वारा वहन किये जायेंगे।

16. निगम एवं आवंटी के मध्य सम्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध हेतु स्टैम्प इत्यादि का व्यय स्वयं आवंटी द्वारा वहन किया जाना होगा।
17. एक या सभी आवंटनों को बिना कारण बताये पूर्ण रूप से निरस्त करने का अधिकार निगम के प्रबन्ध निदेशक के पास सुरक्षित रहेगा।
18. किसी भी वाद की स्थिति में नैनीताल जिला एवं सत्र न्यायालय क्षेत्र होगा।
19. आवंटी द्वारा हॉल/व्यवसायिक तल को स्थानान्तरण करने का अधिकार नहीं होगा। ऐसा पाये जाने पर आवंटन स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं आवंटी से हॉल/व्यवसायिक तल खाली करा लिया जायेगा।
20. उपरोक्त नियमों एवं शर्तो में समय–समय पर किये गये संशोधन आवंटी को मान्य होंगे।
21. देय धनराशि पर विलम्ब अवधि के लिए जो अधिकतम तीन माह होगी, पर 18 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देय होगा, जिसका भुगतान किस्त की धनराशि के साथ आवंटी को करना होगा।
22. व्यवसायिक तल में संलग्न मानचित्र के अनुसार सात ब्लॉक बनाये गये हैं, जिसके लिए आवंटन हेतु आवेदन किया जा सकता है। इन ब्लॉकों में आंशिक रूप से भी जगह हेतु आवेदन किया जा सकता है, किन्तु शर्त यह होगी कि उससे दूसरे ब्लॉक में आवागमन हेतु सामान्य स्थान (रास्ता) विद्यमान रहेगा। व्यवस्था न होने की दशा में रास्ते हेतु छोड़े गये स्थान का किराया उक्त आवेदन द्वारा दिया जायेगा। इसी प्रकार एक ब्लॉक से अधिक का स्थान भी आवंटन हेतु आवेदन किया जा सकता है, किन्तु उसमें भी उक्त शर्त विद्यमान रहेगी।
23. मासिक किराये हेतु आवंटित/स्वीकृत निविदादाता को 15 दिन के भीतर निर्दिष्ट समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जानी होगी।
24. अनुबन्ध से पूर्व आवेदक को बतौर जमानत धनराशि के छः माह का किराया अग्रिम रूप से बैंक ड्राफ्ट, जो कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के नाम हो, जमा करना होगा। अनुबन्ध समाप्ति के उपरान्त अधिग्रहित भवन को छोड़ने पर यदि सम्बन्धित आवंटी के विरूद्ध निगम के प्रति किसी प्रकार की काई देयता नहीं बनती हो, तो आवंटी को जमा जमानत धनराशि लौटा दी जायेगी, अन्यथा की स्थिति में देयता का समायोजन उक्त जमा जमानत धनराशि से कर लिया जायेगा।
25. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त सम्बन्धित निगम के साथ किराया अनुबन्ध सम्पादित करवाना होगा, जिसे निबन्धन कार्यालय से आवेदक संस्था/विभाग/व्यक्ति विशेष द्वारा स्वयं अपने खर्चे से पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।
26. निविदा में प्रतिभाग करने वाले निविदाकर्ता अथवा समिति को निविदा प्रपत्र में उपलब्ध कराये गये प्रपत्र– I (तकनीकी निविदा) जिसमें सम्बन्धित व्यक्ति अथवा संस्था को निविदा में प्रतिभाग करने के लिए न्यूनतम अहर्ताओं का विवरण अंकित करना होगा तथा प्रपत्र– II (वित्तीय निविदा) पृथक–पृथक लिफाफों में बन्द कर उनके बाहर से लिफाफों में निविदाकर्ता अथवा संस्था का नाम व प्रपत्र– I व प्रपत्र– II का अंकन करते हुए दोनों ही लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में सीलबन्द कर एक बड़े लिफाफे के बाहर से व्यवसायिक काम्पलैक्स/कुमाऊँ मण्डल विकास निगम हेतु निविदा शीर्षक अंकित कर व्यक्तिगत रूप से निगम मुख्यालय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर निविदा बॉक्स में डाला जा सकता है। निविदा हेतु नियम तिथि व समय के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
27. निविदा में प्रतिभाग किये जाने वाले निविदाकर्ता की तकनीकी निविदा में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि पायी जाने पर वित्तीय निविदा प्रपत्र–II नहीं खोली जायेगी।